

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर
॥ आदेश ॥

क्रमांक B/3862 / चार-9-21 / 2020 पेंशन

जबलपुर, दिनांक 05/10/2020

श्रीमती रिया त्रिपाठी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 07.09.2020 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्रीमती रिया त्रिपाठी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 06.10.2020 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार
सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार (जनरल)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3863 / चार-9-21 / 2020 पेंशन

जबलपुर, दिनांक 05/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर/ग्वालियर (म0प्र0)
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/ग्वालियर (म0प्र0)
3. संभागीय पेंशन अधिकारी, जबलपुर/ग्वालियर (म0प्र0)
4. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0 खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर (म0प्र0)
5. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक/डी0ई0/सतर्कता/ई0/आई0एल0आर0 परीक्षा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. डिप्टी रजिस्ट्रार, न्यायिक/ओ0एस0डी0 लेखा/लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर
9. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. श्री असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. श्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफीसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
13. सहायक, स्थापना/सेवापुरस्तिका/वेतननिर्धारण/अवकाश/बजट/शिकायत/समूह बीमा/कार्य/कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर ।
14. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाईपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
15. श्रीमती रिया त्रिपाठी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. उप अधीक्षक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन रामी)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

(AP)